भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 596
06.12.2023 को उत्तर देने के लिए

आर्थिक सांख्यिकी संबंधी समिति

596. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नवगठित आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति (एससीईएस) के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के तत्वाधान में किए गए सभी सर्वेक्षणों की रुपरेखा और परिणामों की समीक्षा करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): नवगठित आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति (एससीईएस) के अधिक्रमण में, अधिक कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एससीईएस का पुन: नामकरण करने और उसके विचारार्थ विषय (टीओआर) को बढ़ाने के लिए, दिनांक 13.07.2023 को सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति (एससीओएस) का गठन किया गया था। संरचना और विचारार्थ विषय सहित एससीओएस का ब्यौरा अनुबंध के विवरण में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 06.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

संरचना और विचारार्थ विषय सहित ब्यौरा निम्निलिखित है:

1. समिति का गठन निम्नलिखित है :

1.	डॉ. प्रणव सेन, पूर्व कार्यक्रम निदेशक, भारतीय दल अनुसंधानकर्त्ता , अंतर्राष्ट्रीय विकास केन्द्र, नई दिल्ली ईमेल: pronab.sen@theigc.org	अध्यक्ष (गैर- सरकारी)
2.	प्रो. सोनल डे देशाई , प्रोफेसर, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान समिति, नई दिल्ली ईमेल: sonalde.desai@gmail.com, sdesai@umd.edu	गैर- सरकारी सदस्य
3.	डॉ. बिश्वनाथ गोल्डर , पूर्व प्रोफेसर , आर्थिक विकास संस्थान ,नई दिल्ली ईमेल: b_golder77@yahoo.com	गैर- सरकारी सदस्य
4.	डॉ. एस के शशि कुमार , पूर्व वरिष्ठ अध्येता, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ,नोएडा , उत्तर प्रदेश ईमेल: sasikumarsk2@gmail.com	गैर- सरकारी सदस्य
5.	प्रो. एस. चंद्रशेखर , प्रोफेसर , इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान , मुम्बई ईमेल: chandra@igidr.ac.in	सरकारी सदस्य
6.	महानिदेशक (एनएसएस), एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ,नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
7.	महानिदेशक (सांख्यिकी) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
8.	एडीजी,एससीडी, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ,नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
9.	कार्यकारी निदेशक (ईडी) अथवा उनके प्रतिनिधि, मॉडलिंग और पूर्वानुमान प्रभाग , सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक ,मुम्बई	सरकारी सदस्य
10.	डॉ. तॉकीर अहमद , प्रभाग प्रमुख , प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रभाग , आईसीएआर- भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ,नई दिल्ली ईमेल:tauqueer.ahmad@icar.gov.in	सरकारी सदस्य
11.	डॉ. संदीप मित्रा, एसोसिएट प्रोफेसर , भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता ईमेल:sandip@isical.ac.in	सरकारी सदस्य
12.	प्रो. मौसमी बोस , प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी इकाई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता ईमेल:mausumi@isical.ac.in	सरकारी सदस्य*
13.	चक्रीय आधार पर तीन राज्य डीईएस (इनमें से एक पूर्वोत्तर राज्य से) से प्रतिनिधि जहां राज्य भाग लेते है ।	सरकारी सदस्य
14.	एडीजी (एसडीआरडी),एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , कोलकाता	सदस्य सचिव

नोट: प्रोफेसर मौसमी बोस , आईएसआई, कोलकाता , जो सरकारी सदस्य हैं, सेवा अधिवर्षता/ सेवानिवृति के बाद उन्हें गैर-सरकारी सदस्य माना जाएगा ।*

2. सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीओएस) के विचारार्थ विषय: स्थायी समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जब भी आवश्यक हो तब सभी सर्वेक्षणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी और उन्हें सामने रखेगी। इसके संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एससीओएस के समक्ष लाए गए सभी सर्वेक्षणों से संबंधित विषय/परिणाम/पद्धति आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों का समाधान करना।

ii. सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग डिज़ाइन, सर्वेक्षण उपकरण आदि सहित सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देना और सर्वेक्षणों की सारणीबद्ध योजना को अंतिम रूप देना।

iii. सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देना।

iv. डेटा संग्रह के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले, यदि आवश्यक हो, पायलट सर्वेक्षण/पूर्व परीक्षण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

v. सर्वेक्षण/सांख्यिकी से संबंधित प्रशासनिक आंकड़ों के अध्ययन और उपलब्धता की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

vi. सर्वेक्षण/सांख्यिकीय के संबंध में डेटा अंतराल/अतिरिक्त डेटा आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के अध्ययन/पहचान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और सुधार के लिए उचित कार्यनीति का सुझाव देना।

vii. सर्वेक्षणों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य (जहाँ भी राज्य की भागीदारी है) स्तर की एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

viii. समय-समय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एससीओएस को भेजे गए सर्वेक्षण/सर्वेक्षण परिणामों से संबंधित कोई अन्य मामला।

नोट: एससीओएस की संरचना में से विषय विशेषज्ञ/ सदस्य की अध्यक्षता में एससीओएस विभिन्न उप-समिति का गठन कर सकती है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ, एससीओएस और उप-समिति तथा संबंधित मंत्रालय के अध्यक्ष से परामर्श करके, उप-समिति सरकार के अंदर और / या बाहर एससीओएस एवं अन्य विषय विशेषज्ञ के सदस्यों को शामिल कर सकती है। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थाई समिति, बैठक में यदि विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो, विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रुप में भी आमंत्रित कर सकती है।